न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–154/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–195/22
रवि शंकर पासवान एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

13.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण **1. रवि शंकर पासवान एवं 2. संजय पासवान** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री मृत्युंजय गाँधी के द्वारा संचालित किया गया। मामला जमानत के दुरूपयोग का है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदकगण जमानत पर थे तथा उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 08.12.2025 को खण्डित हो गया है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनाक 10.03.2026 से कारा अभिरक्षा में हैं तथा पर्याप्त रूप से दण्डित हो चुके हैं, अब उनकी ओर से ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार, प्रत्येक निर्धारित तिथि को सदेह उपस्थित रहने का वचन देते हैं। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण इस वाद में जमानत पर थे तथा अभिलेख दं0प्र0सं0 की धारा–313 के तहत बयान हेतु निर्धारित था तथा उन्हें मामले में सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था, इसके बावजूद भी, जब वे न्यायालय में सदेह उपस्थित नहीं हुए तो उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 08.12.2025 को विखण्डित कर दिया गया। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण दिनाक 10.03.2026 से कारा

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–154/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–195/22

लगातार
13.03.2026

अभिरक्षा में हैं तथा पर्याप्त रूप से दण्डित हो चुके हैं, अब भविष्य में ऐसी गलती करेंगे तथा प्रत्येक निर्धारित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे। आवेदकगण के बिताई हुई कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।